SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta J.M.F.C. , Gohad, DIST-. BHIND (M.P)

Case No	130//7 3. W complaint or report madeon
Name and addr	ess of the Complainant San Rue Do
	2175
	igaal am
,	Name, parentage, caste and address of accused
Hay.	210-0121 CAISI, @ 311 SCOUPHIC
(10)	2100121 लाडा , हा द्वा हटलाम्पाद
	AVM 28/ 1918 (6 367 100 8 75/H
	STOREGY UP THE WAY OF THE PARTY
	The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
THE R. P. LEWIS CO.	आपने दिनांक 20/01/n को समय लगभग 3:00 बजे,
	में वाहन 📉 🐪
ず0 CC S	को बिना रजिस्ट्रेशन/ फिटनेश/ बीमा/नम्बर प्लेट/
विष्ठ विष्	के चलाया और इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि
	एक्ट की धारा ५५- 185 के तहत
	है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।
	क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
	SK Cupta d
	Judicial magistrate met class, Gonad Dist Bhind (M.P)
The plea of the a	ccused and his examination (if any)
	44214 (Sait & Amos 4 3+20 6'00 for 16
10001	A.K. Gupton
Primar Personal Primary	Judicial magistrate firsteclass,
	Gohard Dist Blaind (MY!P)

//निर्णय// (आज दिनांक २०//) को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की
धारा 185 M V A
तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई
पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपाध की प्रकृति को
दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 MV में
तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक का
कारावास एवं कमशः राशि रूपये ी इनस् २००० कल
रू० (२००) के अर्थदण्ड से दण्टित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकम की दशां में अभियुक्त को
अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन किर्ने कि
C ज 04 F # 297/ को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निवेंशन पर टंकित

Judicial magistrate first class, Gonad Distabling (M.P)